(307) (183)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

COURT FEE INDIA 20 Rs. भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 463-III-15

अवधेश प्रसाद पिता कपिलमुनि राम ब्रा. उम्र 62 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम खड़ौरा तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म०प्र०) - - - - - - - - - -आवेदक

बनाम

चन्द्रकान्त पिता कपिलमुनि राम ब्रा. उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम खड़ौरा तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म०प्र०)- - - - - - - - - अनावेदक

द्वारा आज दिनांक 16.02.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी देवसर के प्र.क्र. 230 /अपील/12-13/ आदेश दिनांक 31.12.2014
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-रा. सं. 1959

क्रमांक 4591
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ____ को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य निम्नांकित है-

(1) यह कि प्रश्नगत बटवारे के प्रकरण में तहसीलदार देवसर द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर उभयपक्ष के द्वारा तैयार बटवारा फर्द, पंचनामा व सहमत के आधार पर दिनांक 10.1.012 को स्वतः कब्जे के अनुकूल बटवारे का अंतिम आदेश पारित किया गया जो उभयपक्ष में किसी भी पक्ष द्वारा विधिवत अपीली कार्यवाही के अन्तर्गत चुनौतीत न होकर आज तक स्थिर रहीं ।

(2) यह कि अनावेदक द्वारा आवेदक के चोरी छिपे गैर जानकारी में पुनः उन्ही के अदालत में व उसी प्रकरण में धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत बटवारे में आवेदक को प्राप्त हुई आराजियों में मात्र दो किता आ० ख० क्र. 349 व 354 स्वयं के पक्ष में दर्ज कराने के प्रयोजन से आवेदन पत्र दिया व जिस पर अधिनस्थ विचारण न्यायालय ने आवेदक की बिना सूचना व सुनवाई किये व विधि के भी प्रतिकूल अनावेदक के पक्ष में बटवारे का आदेश को रद्द कर पारित किया । जिस आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने अधिनस्थ प्रथम अपीली अदालत के समक्ष पूर्व के अंतिम आदेश को स्थिर रखने व दूसरे अवैध आदेश को निरस्तगी हेतु अपील प्रस्तुत है ।

(3) यह कि अधिनस्थ अपीली न्यायालय ने विधि के अनुकूल आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने व अस्वीकार करने का आदेश पारित न करके हल्का पटवारी से पुनः बटवारे के प्रयोजन से बटवारा प्रतिवेदन मंगवाने का आदेश किया।

..2..

अवधेश प्रसाद द्विवेदी

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

50
16.2.15

1. श्रीमती शान्ति पत्नी चन्द्रभान उम्र - 58 वर्ष
2. अमरनाथ चतुर्वेदी उम्र - 38 वर्ष
3. अमृनाथ चतुर्वेदी उम्र 35 वर्ष
4. अलखनाथ चतुर्वेदी उम्र 33 वर्ष
5. कुसुम देवी उर्फ श्रीवती उम्र - 30 वर्ष

सभी के पिता चन्द्रभान चतुर्वेदी निवासी ग्राम - खड़ौरा तह० डबरा जिला - ग्वालियर

श्री.

द्वारा आ

प्रस्तुत कि

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

(183)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग० 463-III/15 जिला सिंगरौली

अवधेश प्रसाद विरूद्ध चन्द्रकान्त व्यास

1	2	3
16-1-19 -	1. आवेदक की ओर से श्री सन्तोष कु० मिश्र अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील.......................के प्रकरण क्रमांक 230/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31.12.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25.03.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	